सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2011/178 दायर दिनांक 11.08.2011

वादी		प्रतिवादीगण
1. यासीनखॉं पुत्र इमामखॉं उम्र 74 साल जाति पठान निवासी अजमेरी गेट डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. उम्मेदखॉं पुत्र सुल्तानखॉं जाति कायमखानी निवासी डीडवाना 1/1 सईदन पत्नि उम्मेदखॉं 1/2 मुकारब खॉं पुत्र उम्मेदखॉं 1/3 साबिरखॉं पुत्र उम्मेदखॉं 1/4 अयुबखॉं पुत्र उम्मेदखॉं समस्त जाति कायमखानी निवासी डीडवाना 2. लडमा खातून पत्नि गुलाम हसन 3. शाबीर पुत्र गुलाम हसन 4. युनुस पुत्र गुलाम हसन 5. परवेज पुत्र गुलाम हसन 6. आबीदाखातून पुत्री गुलाम हसन 7. हुसनबानो पुत्री गुलाम हसन 8. अचरजोखातून पत्नि फूलेखॉं 9. फरमानखान पुत्र फूलेखॉं 10. महमूदाखातून पुत्री फूलेखॉं 11. सलीमखान पुत्र फूलेखॉं 12. फारूकखान पुत्र फूलेखॉं 13. मकसूदखान पुत्र फूलेखॉं समस्त जाति पठान निवासी अजमेरी गेट डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 14. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती

व स्थाई निषेघाज्ञा व बन्टवारा

उपस्थित–

1. श्री मो. अली शैरानी अधिवक्ता, वादी।
2. प्रतिवादीगण सं0 01 ता 14 अनुपस्थित,।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **06.02.2019**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि,वादी व प्रतिवादीगण संख्या एक उम्मेदखॉं खेत पडौसी है और प्रतिवादी संख्या 02 ता 13 एक ही परिवार के सदस्य है।तथा इस दावे मे वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 13 का हित समान है, मगर इस समय प्रतिवादी संख्या 02 ता 13 के अपनी सकूनत पर हाजीर नही होने के कारण उनको इस दावे में बतौर वादी हस्ताक्षर करवाने में असमर्थ रहने के कारण प्रर्फोमा प्रतिवादी बनाया गया है।

इस खेत के पुराने ख. न. 558 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा, ख. न. 559/1 रकबा 12 बिस्वा व ख. न. 555 रकबा 26 बीघा 07 बिस्वा को

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मिलाकर नया ख. न. 837 रकबा 39 बीघा 04 बिस्वा बना हैं, जो सरहद डीडवाना मे स्थित है।उपरोक्त खेतो का प्रथम बार बापी पटटा दिनाकं 06.04. 1944 को खेत ख. न. 555 रकबा 152 बीघा 19 बिस्वा व ख. न. 901 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा इमामखॉ पुत्र अब्दुखॉ जाति पठान के नाम से जारी हुआ।जिसमें से आगे चलकर ख. न. 555 के राजकिय रेकर्ड में कई ख. न. दर्ज कर दिये गये और उनके पटटे भी अलग–अलग जारी कर दिये गये। मगर ख. न. 555 मे दो नये रास्ते निकालने के कारण वह तीन भागो मे विभगत हो गया। जिसका विवरण इस प्रकार है :–

	ख. न.	रकबा
प्रथम भाग	815	26.01
द्वितिय भाग	823	21.14
	824	12.00
	825	12.14
	827	29.08
	833	18.09
तृतीय भाग	837	39.04
तीनो भागो का योग		159.10

दिनाकं 01.09.1965 में जब पुनः सेटलमेन्ट हुआ तब पर्चा लगान में उपरोक्त छः खसरा का एक नया पर्चा लगान गुलामहसन फूलेखॉ, महमदखॉ, यासीनखॉ, पुत्र इमामखॉ के नाम से जारी हुआ। जिसमें उपरोक्त छः ख. न. का कुल रकबा 120 बीघा 06 बिस्वा की खातेदारी उपरोक्त चारों खातेदारो के नाम से दर्ज हो गई जिनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 13 है।मगर उपरोक्त खातेदारों के पास कुल जमीन 152 बीघा 19 बिस्वा का पटटा जारी होना चाहिये था। इस प्रकार उपरोक्त खातेदारों की जमीन ख. न. 837 रकबा 39 बीघा 04 बिस्वा मे तीन और खसरान मिला दिये अर्थात ख. न. 559/1 रकबा 12 बिस्वा 558 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा प्रतिवादी संख्या एक उम्मेदखॉ के नाम से राजकिय रेकर्ड मे अमल दरामद होनी चाहिये थी और ख. न. 555 का रकबा दर्ज ही नही किया और उम्मेदखॉ पुत्र सुल्तानखॉ 1/2 व गुलामहसनखॉ, फूलेखॉ, महमदखॉ, यासीनखॉ, पिसरान इमामखॉ 1/2हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी का पटटा जारी कर दिया, जो गलत हैं क्योकि प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से मे ख. न. 559/1 रकबा 12 बिस्वा व ख. न. 558 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा ही हिस्से मे आती है।इसी अनुसार पटटा जारी होना चाहिये था।जबकि राजकिय कर्मचारियो की भूल से ख. न. 558, 559/1 तथा 555 तीनो का संयुक्त खातेदार मानते हुए 1/2 हिस्से में उम्मेदखॉ तथा 1/2 हिस्से मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 13 के पुर्वजो के नाम से पर्चा लगान जारी किया गया जो गलत किया गया क्योकि उम्मेदखॉ के मात्र 12 बीघा 17 बिस्वा जमीन ही हिस्से मे आती है बाकी जमीन ख. न. 555 रकबा 26 बीघा 07 बिस्वा दर्ज होना चाहिये था मगर उपरोक्त प्रविष्टि करने के बजाय 1/2 का खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 को घोषित कर दिया जो गलत है।क्योकि प्रतिवादी संख्या एक उम्मेदखॉ के पास अपने हिस्से से अधिक जमीन राजकिय रेकर्ड मे दर्ज हो गई है।इस प्रकार प्रतिवादी संख्या एक के पास वर्तमान में 06 बीघा 17 बिस्वा जमीन का पर्चा लगान ज्यादा जारी हुआ है।जिसको दुरूस्त करने हेतु यह दावा वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी का पेश किया जा रहा है।इसी माफिक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 13 अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है।

कि उपरोक्त खेतो मे कम दर्ज हुई 06 बीघा 17 बिस्वा सम्पुर्ण भूमि मौके पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 13 के कब्जे काश्त मे है।केवल राजकिय रेकर्ड मे दर्ज नही है।जिसको बैचाण व खुर्द–बुर्द करने पर प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

संख्या एक आमादा है।इसलिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 13 के हितो पर काले बादल छा गये है।वह कभी भी उनके हितो पर कुठाराघात कर सकता है।इसलिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 13 अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या एक के साथ बतौर संयुक्त खातेदार नही रखना चाहता है, तथा वह अपने हिस्से का बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बन्टवारा चाहता है।क्योकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 13 तथा प्रतिवादी संख्या एक के हिस्सो का मौके पर भौतिक बन्टवारा किया हुआ है तथा वे अपने–अपने हिस्से की सींवे कायम किये हुए है।अतः यह दावा स्थाई निषेधाज्ञा रेकर्ड दुरुस्ती एवं बन्टवारे का पेश है।

प्रार्थना वादी है कि

कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 13 के बापोती के खेत ख. न. 837 रकबा 39 बीघा 04 बिस्वा सरहद डीडवाना की खातेदारी मे से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 13 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करते हुए प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्से से हटाकर 12 बीघा 17 बिस्वा ही राजकिय रेकर्ड मे दर्ज किया जावें तथा इसी आशय की एक तहरीर श्रीमान तहसीलदार डीडवाना को राजकिय रेकर्ड मे अमल दरामद हेतु जारी की जावे।

कि प्रतिवादी संख्या एक को गलत खातेदारी की आड में दौराने दावा उक्त भूमि का बैचाण हस्तातरण या कब्जे में दखलअंदाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें।तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 13 के हिस्से में ख.न. 837 रकबा 39 बीघा 04 बिस्वा मे से 26 बीघा 07 बिस्वा राजकिय रेकर्ड में घोषित की जावें और इसी माफिक पक्षकारो के बीच बाई मिटस एण्ड बाउन्डस भौतिक रूप से बन्टवारा किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 21.09.2011 को समस्त प्रतिवादीगण की तामील होने के बावजूद अनुपस्थि होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 ता 14 के विरूद्ध एकपक्षिये कार्यवाही अमल मे लाई गई।

दिनाक 16.08.2018 को वादी की और से साक्ष्य शपथ–पत्र पेश हुआ।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

:—आदेश—:

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत ख. न. 837 रकबा 39 बीघा 04 बिस्वा सरहद डीडवाना की खातेदारी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 13 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 01 का नाम उपरोक्त खेत की खातेदारी से हटाया जाता है।तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **06.02.2019** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2011/178** दायर दिनांक **11.08.2011**

वादी		प्रतिवादीगण
1. यासीनखॉ पुत्र इमामखॉ उम्र 74 साल जाति पठान निवासी अजमेरी गेट डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. उम्मेदखॉ पुत्र सुल्तानखॉ जाति कायमखानी निवासी डीडवाना 1/1 सईदन पत्नि उम्मेदखॉ 1/2 मुकारब खॉ पुत्र उम्मेदखॉ 1/3 साबिरखॉ पुत्र उम्मेदखॉ 1/4 अयुबखॉ पुत्र उम्मेदखॉ समस्त जाति कायमखानी निवासी डीडवाना 2. लडमा खातून पत्नि गुलाम हसन 3. शाबीर पुत्र गुलाम हसन 4. युनुस पुत्र गुलाम हसन 5. परवेज पुत्र गुलाम हसन 6. आबीदाखातून पुत्री गुलाम हसन 7. हुसनबानो पुत्री गुलाम हसन 8. अचरजोखातून पत्नि फूलेखॉ 9. फरमानखान पुत्र फूलेखॉ 10. महमूदाखातून पुत्री फूलेखॉ 11. सलीमखान पुत्र फूलेखॉ 12. फारूकखान पुत्र फूलेखॉ 13. मकसूदखान पुत्र फूलेखॉ समस्त जाति पठान निवासी अजमेरी गेट डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 14. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती

व स्थाई निषेघाज्ञा व बन्टवारा

दिनांक **06.02.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो.अली शैरानी अधिवक्ता, वादी उपस्थित व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 14 ,अनुपस्थित । मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत ख. न. 837 रकबा 39 बीघा 04 बिस्वा सरहद डीडवाना की खातेदारी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 13 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 01 का नाम उपरोक्त खेत की खातेदारी से हटाया जाता है।तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.. ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **06.02..2019** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	—		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना(नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–178–2011 / रीडर / 2019 / 163 दिनांक 15/2/19

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरुस्ती

व स्थाई निषेधाज्ञा व बन्टवारा

वादी		प्रतिवादीगण
1. यासीनखॉं पुत्र इमामखॉं उम्र 74 साल जाति पठान निवासी अजमेरी गेट डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. उम्मेदखॉं पुत्र सुल्तानखॉं वगैराह

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner